संख्या-70/VI-1/2004-44युवा0/2003

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग देहरादून दिनांक 12 अगस्त ,2004

विषयः-वित्तीय वर्ष 2004-2005 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं जनजाति उपयोजना हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-442/दो-990/2004-2005 दिनांक 3 अगस्त, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-2005 में व्यवस्थित रू0 41.41 लाख (रुपये इकतालीस लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न मदो में व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0स0	मानक मद	स्वीकृत धनराशि हजार रूपये में
1-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 001-निदेशन तथा प्रशासन 02-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 0201-प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण	42-अन्य व्यय	2500
2-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 001-निदेशन तथा प्रशासन 02-अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 0291-प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण (जिला योजना)	42-अन्य व्यय	1357
3-2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें 796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना 01-प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण	42-अन्य व्यय	284
कुल योग		4141

2-स्वीकृत की जारी धनराशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण,अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षित स्वंय सेवको को ड्यूटी भत्ते के भुगतान एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति बहुल्य ग्रामो के युवक मंगल दल व महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन हेतु सामग्री उपलब्ध कराने पर किया जायेगा।

3–यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

4–किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल भंडार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा। और ये दरें न होने की स्थिति में टेडंर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

5–उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें के अन्तर्गत उपरउल्लिखित लेखाशीर्षक के मानक मदो के नामें डाला जायेगा।

6–व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया गया है।

7–'उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–554/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रहें है।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– (1)/VI-1/2004–44 युवा0/2003 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
4–वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
5–एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6–निजि सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
7–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।